हरियाणा विधानसभा सचिवालय

दिनांक 19.11.2024
के लिए स्वीकृत

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 5

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 5 के द्वारा श्री अदित्य देवीलाल, विधायक सरकार द्वारा गरीब एवं अनुसूचित वर्ग के लिए काटे गए 100–100 गज के आबंटित प्लाटों की कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न करवाने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि इस सरकार ने और पिछले सरकारों ने भी विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गरीब एवं अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए 100–100 गज के प्लाट आवंटित कर गांवों व शहरों में कॉलोनियां काटी थी। लेकिन इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। ये आवास मुख्यतः पंचायत की जमीन पर काटे गए थे वो लगभग सभी जगह गांव से काफी दूर है जिस कारण उनको जरूरी सुविधाओं को लाभ लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है अतः इन कॉलोनियों में सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवानी चाहिए। इस गम्भीर मुद्दे पर सदन में चर्चा होना बहुत जरूरी है क्योंकि हरियाणा के लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

*****

श्री कृष्ण लाल पंवार, विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा का कथनः–

''महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना 2008 में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। परतुं विभिन्न कारणों से कुछ लाभार्थियों को आवंटित किए गए प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया जा सका था। वर्तमान सरकार द्वारा स्थापित किए गए Housing for All विभाग के अंतर्गत वर्ष 2024–25 में **"मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना"** का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत दिनांक **10 जून 2024** को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग **7,000** लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा अन्य पात्र

लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा शीघ्र अति शीघ्र देने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत कई लाभार्थियों को प्लॉट आंवटित नहीं हो सके थे। जिसे ध्यान में रखते हुए Housing for All Department के द्वारा **"मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना –विस्तार"** का शुभारम्भ किया गया जिसके तहत भूमिहीन ग्रामीण परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें 50 वर्गगज / 100 वर्गगज के आवासीय प्लॉट प्रदान किए जाएगें। इस योजना को तीव्र गति से लागू करने के लिए प्रथम चरण में लगभग **1,000** ग्रम पचांयतो को चिंहित भी किया जा चुका है एवं इन पंचायतों ने पात्र परिवारों को पंचायती भूमि में से प्लॉट काटने का प्रस्ताव भी पास करके राज्य सरकार को दिया है।

जहाँ तक महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत स्थापित कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़कें, गलियां और नालियां उपल्ब्ध करवाने का प्रश्न हैं, इसके लिए सरकार निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अतंर्गत लगभग **4,573** कॉलोनियों को निर्मित किया गया तथा इनमें से लगभग **2,250** कॉलोनियों में, जहाँ बसावट शुरू हो गई हैं, वहाँ मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी गई है। पिछले दस वर्षों में इस योजना के तहत लगभग **320.50 करोड़** रूपये का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट में से बिजली विभाग को लगभग **94.50 करोड़** रूपये तथा जन स्वास्थ्य विभाग को लगभग **66 करोड़** रूपये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आवंटित किए गए हैं।

इन प्रयासों में और अधिक तीव्रता लाने के लिए 2022–23 में ब्लॉक स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व खण्ड विकास और पंचायत अधिकारी (BDPO) करते हैं, और इसमें जन स्वास्थ्य, पंचायत राज और बिजली (UHBVN/DHBVN) विभागों के उप–मंडल अधिकारियों (SDOs) को शामिल किया गया है। इस विशेष टास्क फोर्स की मुख्य भूमिका इन कॉलोनियों का सर्वेक्षण करना, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है, और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी के माध्यम से सिफारिशें प्रदान करना है। प्राथमिकता उन कॉलोनियों को दी जाती है जहां पर्याप्त आबादी बस चुकी है, और इस विशेष टास्क फोर्स को सक्रिय करने के लिए कई अवसरों पर दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार बुनियादी ढांचा सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोई भी इस योजना की कॉलोनी, जो इन सुविधाओं से अभी तक वंचित है, उसे इस योजना के तहत आवश्यक विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।''

*****

हरियाणा विधानसभा सचिवालय

दिनांक 19.11.2024
के लिए स्वीकृत

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 5

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 5 के द्वारा श्री अदित्य देवीलाल, विधायक सरकार द्वारा गरीब एवं अनुसूचित वर्ग के लिए काटे गए 100–100 गज के आबंटित प्लाटों की कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न करवाने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि इस सरकार ने और पिछले सरकारों ने भी विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गरीब एवं अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए 100–100 गज के प्लाट आवंटित कर गांवों व शहरों में कॉलोनियां काटी थी। लेकिन इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। ये आवास मुख्यतः पंचायत की जमीन पर काटे गए थे वो लगभग सभी जगह गांव से काफी दूर है जिस कारण उनको जरूरी सुविधाओं को लाभ लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है अतः इन कॉलोनियों में सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवानी चाहिए। इस गम्भीर मुद्दे पर सदन में चर्चा होना बहुत जरूरी है क्योंकि हरियाणा के लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

STATEMENT OF SH. KRISHAN LAL PANWAR, DEVELOPMENT AND PANCHAYATS MINISTER, HARYANA.

“The **Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojana (MGGBY)** was launched in 2008 with the goal of providing 100-square-yard plots to the families of Scheduled Castes, Backward Classes, and those living below the poverty line. However, due to various reasons, possession of the allotted plots could not be handed over to the some of the eligible beneficiaries. In the year 2024-25, under the "**Housing for All**" department established by the current government, the "**Mukhyamantri Gramin**

Awas Yojana" was launched. Under this scheme, a state-level event was organized on June 10, 2024 wherein approximately **7,000** eligible beneficiaries received possession certificates, and efforts are ongoing to quickly deliver the possession of the plots to the other eligible beneficiaries, wherever feasible.

Under the **Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojana**, many eligible beneficiaries could not be allocated plots. Keeping this in mind, the Housing for All Department has launched the " **Mukhyamantri Gramin Awas Yojana - Extension** ", under which residential plots of 50 square yards or 100 square yards will be provided to landless rural families to meet their housing needs. To implement this scheme efficiently, around **1,000** Gram Panchayats have been identified in the first phase. These Gram Panchayats have also submitted resolutions to the state government for providing Panchayati land for allotment of plots to the eligible families.

In the colonies established under the **Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojana**, as far as the issue of providing basic facilities such as electricity, water, roads and drainage is concerned, the government is continuously working actively. Under the **Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojana**, approximately **4,573** colonies have been established, and among these, in about **2,250** colonies, where settlement has begun, basic facilities have also been made available. In the last ten years, approximately **₹320.50 crores** have been released under this scheme. Out of this budget, around **₹94.5 crores** were allocated to the Electricity Department, and approximately **₹66 crores** to the Public Health Engineering Department for providing basic facilities.

To accelerate these efforts further, a Special Task Force (STF) was established at the block level in **2022-23.** This Task Force is led by the Block Development and Panchayat Officer (BDPO) and includes Sub-Divisional Officers (SDOs) from the

Public Health Engineering Department, Panchayati Raj, and Electricity Departments (UHBVN/DHBVN) as its members. The main role of this special Task Force is to monitor these colonies, identify areas lacking amenities, and ensure demands/proposals are submitted through the Chief Executive Officer, Zila Parishad concerned. Priority is given to colonies with adequate habitation, and instructions have been issued to operationalize this Special Task Force.

The government remains fully committed to providing these basic facilities in these colonies. Any colony established under this scheme, which is still deprived of these facilities, will be given priority for necessary developmental works under the scheme.

*****